

Alleged theft of personal data from banks and insurance companies and selling the same to other companies by some brokers

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं सदन के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। यह सभी लोगों की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, चाहे आपके घर का पता, फोन नम्बर, ई-मेल आई.डी., उम्र, वैवाहिक स्थिति, आय, पेशा या आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी हो या बैंक या इश्योरेंस कम्पनियों में किए गए निवेश इत्यादि की जानकारी हो, सारी जानकारी बेची जा रही है। डाटा ब्रोकर्स कम्पनियां खुल गई हैं, जो 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये में लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां अन्य कम्पनियों को गैर कानूनी ढंग से बेच रही हैं, जिसके आधार पर तमाम कम्पनियां और बैंक लोगों को फोन करके उनको तरह-तरह की सुविधाओं का लालच देते हैं या लोन, पॉलिसी या प्रीमियम इत्यादि का ऑफर करके ठग रहे हैं।

अखबार में छपी एक खबर के अनुसार एक ब्रोकर ने दिल्ली, एन.सी.आर., बेंगलुरु, हैदराबाद इत्यादि शहरों के लोगों की क्रेडिट कार्ड इत्यादि की एक लाख 70 हजार लोगों की जानकारी सिर्फ 7,000 रुपये में देने का वायदा किया है। बिना अनुमति के लोगों की ये जानकारियां बैंकों तथा इश्योरेंस कम्पनियों से दूसरे लोगों के हाथों में कैसे जा रही हैं? यहां तक कि अब जाली एजेंसियां भी काम कर रही हैं, जो अक्सर लोगों को फोन करके उनकी जानकारी बताकर उन्हें ठग रही हैं। 2015-16 में रिजर्व बैंक ने 25,000 जालसाजी के मामले दर्ज किए हैं।

कल के समाचार-पत्रों में McDonald's की साइट हैक करने की बात लिखी है। उसमें से क्रेडिट कार्ड आदि का डाटा निकाल कर उसको बेचने की बात बताई जा रही है। यह एक बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि अब सरकार डिजिटल करने पर बहुत जोर दे रही है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र ही एक मजबूत डाटा प्रोटेक्शन बनाये तथा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। मेरे पास खुद कई फोन आये और उन्होंने हमको तमाम तरीके के ऐसे ऑफर दिए कि आप ऐसा कर लीजिए। मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरे नम्बर की जानकारी कहां से मिलती है, वे उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं और ये लोग कहते हैं कि डाटाबेस पर चले जाइए, कम्प्यूटर पर चले जाइए, प्लास्टिक मनी के बारे में कहिए, यह तो एक बड़ा गंभीर मामला है। अगर इसका प्रोटेक्शन ऐक्ट नहीं बना, तो देश में हम लोगों की जो गोपनीय जानकारियां हैं, तमाम लोग वही fraud करेंगे, जो मलेशिया, दुबई आदि में करते हैं। मैं कहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। ...*(व्यवधान)*... इससे बहुत बड़ी बचत होगी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री नीरज शंखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री सुरेंद्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

डा. चंद्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; it is noted. Yes; it is a serious matter. Naqviji, kindly convey it to the Finance Minister and IT Minister.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो इश्यू उठाया है, वह एक गंभीर इश्यू है। इस इश्यू पर, जो पूरी digital technology है, यदि उसकी hacking और उससे संबंधित उनकी कोई और स्पेसिफिक जानकारी होगी, तो वह जानकारी हम लेंगे और inform भी करेंगे।

**Alleged illegal construction by a Public Limited Company in Veraval,
Gujarat causing environmental problems**

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): उपसभापति जी, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि हमारे गुजरात राज्य के सोमनाथ क्षेत्र में एक Sulphuric acid, industry है। अभी हाल ही में उन्होंने एक illegal construction का काम शुरू किया था। हमने स्थानीय नगर पालिका से पूछा था कि क्या उन्होंने आपसे या गवर्नमेंट से कोई इसकी मंजूरी ले रखी है या नहीं ले रखी है? उन्होंने जैसे ही वहां का inspection किया, उसके दूसरे ही दिन उन फैक्टरी वालों ने construction तोड़ना चालू कर दिया।

सर, यह एक Sulphuric acid plant है। इसका जो Sulphuric acid water समुद्र में जाता है, उससे समुद्र में प्रदूषण होता है। समुद्र में एक मार्ग रेखा होती है, जिससे पता चलता है कि उन्हें कितने किलोमीटर के बाद समुद्र के मध्य में पानी की लाइन से लेकर जाना है। लेकिन वे लोग यह करते हैं कि वह पानी वहीं छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे जो छोटे-छोटे मछुआरे हैं, जो वहां पर नजदीक में, 9 nautical miles के अंदर fishing करते हैं, वे इससे सफ़र करते हैं। वहां से कोई मछली आती नहीं है। जितनी भी मछलियां, इस Sulphuric acid water के क्षेत्र से आती हैं, वे पूरी तरह से मर जाती हैं, जिसके कारण pollution का भी खतरा हो जाता है।

दूसरी बात, factory को अपने workers के लिए यह जो जमीन दी गई थी, उन्होंने वह जमीन workers से खाली कराकर वहां पर नई factory लगा दी है। मेरी आपके माध्यम से यह गुजारिश है कि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इस बाबत जांच करे और इसमें दखल दे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Kanimozhi; not present.

Alleged murder of a tribal farmer leader in Chhattisgarh by land mafias

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): उपसभापति जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मुझे तीन दिन के बाद बोलने का मौका मिला है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जलाल राठिया नाम का एक आदिवासी किसान नेता, जिसकी एक भू-माफिया द्वारा हत्या की गई, उसकी हत्या इसलिए हुई, क्योंकि वह प्रसिद्ध कुनकुरी जमीन घोटेले, जो 300 एकड़ कुनकुरी की जमीन थी, उसका चश्मदीद गवाह था और उसने अपनी पेशी लगाई थी। जब हाई कोर्ट की अंतिम सुनवाई नजदीक थी, तभी उसकी हत्या की